

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022..... राँची, दिनांक-07.09.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,

सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार

झारखण्ड,

पो.-हिन्तू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल राँची अन्तर्गत कुल 04 अदद चेकडैम के निर्माण हेतु लागत राशि रु० 460.200 लाख (रुपये चार करोड़ साठ लाख बीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

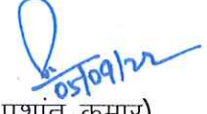
आदेश-स्वीकृति।

2. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल राँची अन्तर्गत कुल 04 अदद चेकडैम के निर्माण हेतु लागत राशि रु० 460.200 लाख (रुपये चार करोड़ साठ लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति पर आधारित है।
4. (क) प्रस्तावित 04 अदद चेकडैम की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-। के रूप में संलग्न है।
(ख) प्रस्ताव की कुल लागत रु० 460.200 लाख है, जिससे कुल 272 हे० (खरीफ-201 हे० एवं रब्बी-71 हे०) क्षेत्र सिंचन क्षमता सृजन का आकलन है। प्रस्ताव का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रु० 1.691 लाख प्रति हेक्टेयर आकलित है।
5. चेकडैम योजना में डीजल चालित/सौर उर्जा चालित पम्प एवं पाईप का वितरण योजना के जल उपयोगकर्ता संघ से माँग के अनुरूप किया जाएगा।
6. उक्त के आलोक में चेकडैम योजनाओं के प्राक्कलन में पम्प एवं पाईप के लागत एवं अधिष्ठापन की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया है।
7. राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं सुखाड़ की समस्या को देखते हुए छोटे-छोटे नदी नालों के जल बहाव को रोक कर चेकडैम का निर्माण किया जाना है। इनके निर्माण से नदी नालों के जल को संरक्षित कर आगामी वर्षों में कृषकों को सिंचाई सुविधा के साथ-साथ दैनिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही उस क्षेत्र में जल संचयन का कार्य भी होगा जिससे भूगर्भ जल की बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा।
8. चेकडैम के निर्माण के पूर्व स्थल का सर्वेक्षण कर जल के प्रवाह की गति, मिट्टी का प्रकार, कमांड एरिया का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरान्त नदी/नाले के जलश्राव की गणना की जाती है एवं तदुपरांत रूपांकन कर चेकडैम के विभिन्न अवयवों की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई एवं विशिष्टियों का निर्धारण किया जाता है जिससे कि संरचना का स्थायित्व प्रभावित न हो। योजना के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं संरचना के निर्माणाधीन अवयवों के गुणवत्ता की जांच भी समय-समय पर गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा की जाती है। इस प्रकार का कार्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभियंता के द्वारा सम्पादित किया जाना योजना के हित में है।

9. योजनाओं का प्राक्कलन माननीय सांसदों/विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर तैयार किया गया है। जिन प्रखंडों की योजनाओं पर अनुशंसा प्राप्त नहीं है, उनमें वैसी योजनाओं का चयन किया गया है, जो तकनीकी रूप से संभाव्य हैं एवं योजना उपयोगी है।
10. चेकडैम योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली-2014 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख-रखाव का दायित्व होगा। जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।
11. विभागीय पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
12. नई योजना निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रावधान निम्नवत् है:-
बजट शीर्ष " मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष -796- जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना - उप शीर्ष -39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य" अंतर्गत **रु0 5555.00 लाख** का बजट प्रावधान है। (50-S-4702-00-796-39-00-05-45)
13. इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा:-
बजट शीर्ष " मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - लघु शीर्ष -796- जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना - उप शीर्ष -39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण - विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण -45- निर्माण कार्य" अंतर्गत **रु0 460.200 लाख** भारित हो सकेगा। (50-S-4702-00-796-39-00-05-45)
14. इन प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2022-23 में प्रारम्भ कर 2023-24 तक पूर्ण किया जायेगा।
15. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।
16. इस कार्य के निविदा निस्तारण में लोक निर्माण विभाग संहिता एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए योजनाओं का प्रबोधन किया जाएगा।
18. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
19. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य वित्त विभाग के परिपत्रों के अधीन, राँची कोषागार द्वारा की जाएगी।
20. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0:- परिशिष्ट-।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

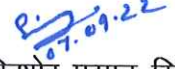

(प्रशांत कुमार)
सचिव

39/22-23 प्र.स्वी.

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022..... राँची, दिनांक-07.09.2022

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- परिशिष्ट-।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022 39/22-23 प्र.स्वी. राँची, दिनांक- 07.09.2022
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022 39/22-23 प्र.स्वी. राँची, दिनांक- 07.09.2022

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022 39/22-23 प्र.स्वी. राँची, दिनांक- 07.09.2022

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022 39/22-23 प्र.स्वी. राँची, दिनांक- 07.09.2022

प्रतिलिपि: माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/523/2022 39/22-23 प्र.स्वी. राँची, दिनांक- 07.09.2022

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

परिशिष्ट-I
लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत चेकडैम निर्माण कार्य की सूची-

ल०सि० प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	चेकडैम की सं०	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे०)			Incidence of cost	B.C Ratio@ 10%	असि०
						खरीफ	रबी	कुल			
1	राँची	बुतियो नाला पर एकल चेकडैम का निर्माण	1	नामकोम	133.297	52	15	67	1.990	1.280	
2	राँची	जुमार नाला पर एकल चेकडैम का निर्माण	1	कोंके	154.596	65	21	86	1.798	1.380	
3	राँची	बेदियागढा नाला पर एकल चेकडैम का निर्माण	1	अनगाडा	66.500	31	11	42	1.583	1.290	
4	राँची	सरहटा केवण्ड में वसरी नाला पर एकल चेकडैम का निर्माण	1	बुढमू	105.807	53	24	77	1.374	1.540	
कुल :-			4		460.200	201	71	272			

(Signature)

39/22-23 प्र०स्वी०
07.09.2022